केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्रीमती दीपक संधू ने सूचना के अधिकार की धज्जयाँ उड़ाई

भ्रष्ट लोकसेवकों के हौसले आज भी बुलंद है। उनके हौसलों को बुलंद करने का काम अब केन्द्रीय सूचना आयुक्त कर रहे है. वे अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के निवारण के लिये बनाये गये इस कानून के सिद्वान्तों के विपरित जाकर निर्णय पारित कर रहे है. उनके इसी रवैये के कारण संबंधीत विभाग के लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय भी बेखौफ होकर सूचना प्रदान नहीं कर रहे है.

नई-दिल्ली- सूचना का अधिनियम,२००५ का मूल उद्देष्य सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाने के किया गया है। इस अधिनियम में प्रत्येक लोकसेवकों के आचरण व उनके द्वारा उनके कार्यालयीन कार्यो की समिक्षा व उनके कार्यकलापों पर नजर रखने का अधिकार प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है। भ्रष्ट लोकसेवकों पर अंकुश लगाये जाने के लिये यह एक सबसे अचुक शस्त्र है।

भ्रष्ट लोकसेवकों के हौसले आज भी बुलंद है। उनके हौसलों को बुलंद करने का काम अब केन्द्रीय सूचना आयुक्त कर रहे है वे अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के निवारण के लिये बनाये गये इस कानून के सिद्वान्तों के विपरित जाकर निर्णय पारित कर रहे है जिससे सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी भी बेखौफ होकर सूचना प्रदान नहीं कर रहे है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त उन्हें बचाने के लिये नियम कायदों को ताक में रखकर मनमाने व अवैधानिक रुप से निर्णय पारित कर उन्हें सहयोग करते है.

भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट लोगों को केन्द्रीय सूचना आयुक्त कैसे बचाते है उनका पर्दाफाश कर उनके कृत्यों को सार्वजनिक किया जाए तब ही इस प्रकार के निर्णयों पर अंकुश लगने की संभावना है.

विधि अनुसार सूचना के अधिकार के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में की जाने वाली द्वितिय अपील में अपीलार्थी को चाही गई सहायता मिलती है लेकिन केन्द्रीय सूचना आयुक्त अपीलार्थी को सहायता प्रदान नहीं कर विरुद्व पक्षकार को सहायता देते है.

उनके द्वारा पारित आदेश स्पीकींग अर्थात कारणों सहित नहीं होते है. विधि के सिद्वान्तों के अनुसार किसी भी अपील में उठाये गये आधारों पर अपील का निराकरण किया जाता है. किसी भी अपीलार्थी की अपील क्यों निरस्त की गई इसका कारण अपील के आदेश में स्पष्ट रुप से लिखा होना चाहिये ताकि अपीलार्थी को इस बात की जानकारी हो कि उसकी अपील क्यों निरस्त की गई है.

कुछ समय पूर्व सेन्सर टाइम्स के द्वारा ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में प्रायोजित आर्थिक घोटाले का पर्दाफाश किया गया. इस आर्थिक घोटाले जिसमें एक शाखा प्रबन्धक ने अपने पद का दुरुपयोग कर निजि स्वार्थ की पूर्ति के लिये एक बीमाधारक से मिलकर बेईमानीपूर्वक लोक दस्तावेजों में कूट रचना की और इस बनाये गये कूटरचित दस्तावेजों को बीमाधारक के पक्ष में न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय के साथ कपट किया और फर्जी दस्तावेजों को असल दस्तावेज के रुप में प्रस्तुत किया. इस मामले में नई दिल्ली के केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने संज्ञान लिया और आर्थिक घोटाले की जाँच कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से संस्थित करवाई जाँच में कई उच्चाधिकारीयों को बचाया गया और आर्थिक घोटाले के मुख्य दोषी अधिकारी प्रमोद भटनागर व एक कर्मचारी को मेजर पेनल्टी की चार्जशीट देकर उनकी विभागीय जाँ च की और उन्हें कंपनी से बर्खास्त नहीं कर उन्हें केवल एक इन्क्रीमेंट डाउन कर उन्हें बचाया गया.

जब इस आर्थिक घोटाले से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि को सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया तो कंपनी के लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी ने इसे देने से इंकार कर दिया. जिसके विरुद्व केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में द्वितिय अपील प्रस्तुत की. इस द्वितिय अपील की सुनवाई केन्द्रीय आयुक्त श्रीमती दीपक संधू ने की और उन्होंने अपील का निर्णय कर अपील में चाही गई सहायता के संबंध में निर्णय नहीं लिया और कंपनी के सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारी का कैसे बचाव किया इसके संबंध में एक विशेष रिपार्ट को प्रकाशित किया जा रहा है.

सूचना के अधिकार के तहत क्या और क्यों जानकारी मांगी गई

चाही गई जानकारी का विवरण-

इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने शाखा कार्यालय रीवा (मध्यप्रदेश)में वर्ष १९९९ में एक बीमाधारक जे.पी.गुप्ता के द्वारा कंपनी के शाखा प्रबन्धक प्रमोद भटनागर व मण्डल कार्यालय -सतना के मण्डल प्रबन्धक नवाब महोम्मद नसिर के द्वारा अपनी ही कंपनी के साथ बेईमानी, कपट और घोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों को तैयार किया और इस कूटरचित दस्तावेजों को यह जानते हुए भी कि वे फर्जी दस्तावेज है को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके कारण कंपनी को अनाधिकृत रूप से रूपये-५,७५,३३५/-की आर्थिक हानि हुई उक्त धनराशी का भुगतान लोकधन से किया गया एवं इन आर्थिक घोटालें में लिप्त लोगों ने निजि स्वार्थ की पूर्ति की.

इस आर्थिक घोटाले में श्री जे.पी.गुप्ता के वाहन क्रमांक-टी.डी.वी ट्रक क्रमांक-सी.पी.ए.-३६५७ से दिनांक-१५.०३.१९९९को एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. वाहन मालिक जे.पी. गुप्ता के उक्त वाहन जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी का बीमा नहीं था. इस कारण उसके द्वारा रीवा शाखा कार्यालय के शाखा प्रबन्धक प्रमोद भटनागर व एक अन्य कर्मचारी के.के. चौधरी के साथ सांठगांठ कर एक षड़यत्र किया. इस षड़यत्र के तहत कंपनी के शाखा प्रबन्धक प्रमोद भटनागर के द्वारा उनके शाखा कार्यालय द्वारा जारी एक बीमा पॉलिसी जो एक अन्य बीमाधारक अशोक कुमार गुप्ता के नाम से थी जिनका वाहन क्रमांक-एम.पी.-२०-ए-८४४६ तथा पॉलिसी नम्बर-१९९९/४४६१ था की पॉलिसी में बेईमानी कपट और कूटरचना कर पाँच फर्जी इन्डोसमेंट किये गये.

इस षड़यत्र के तहत पहला इन्डोसमेंट बेक डेट से अर्थात दिनांक-०५.०३.१९९९ से कर दिया और उसमें पॉलिसी नम्बर-एम.पी.-२०-ए-८४४६ से बदलकर सी.पी.ए.-३६५७ कर दिया. इसके पश्चात इसी पॉलिसी में दूसरा इंन्डोसमेंट भी दिनांक २०.०३.९९ को किया गया जिसमें बीमाधारक का नाम अशोक कुमार गुप्ता के स्थान पर जे.पी. गुप्ता किया गया. इसके पश्चात तीसरा इन्डोसमेंट दिनांक-२९.०३.९९ से को किया गया जिसमें वाहन का मॉडल टीडीवी-१९९९ से बदलकर टीडीवी-१९७९ कर दिया.

बीमाधारक अशोक कुमार गुप्ता की पॉलिसी नम्बर-पॉलिसी नम्बर-१९९९/४४६१ में उक्त तीन इंडोसमेंट करने के पश्चात उक्त तीसरे इंडोसमेंट को बीमाधारक जे.पी.गुप्ता के द्वारा माननीय न्यायालय में पॉलिसी की रूप में प्रस्तुत किया गया.

इसके पश्चात शाखा कार्यालय-रीवा के शाखा प्रबन्धक के द्वारा कूटरचना कर बनाई गई फर्जी पॉलिसी में चौथा इंडोसमेंट दिनांक-०८.०४.१९९९ को किया गया जिसमें बीमाधारक का नाम जे.पी.गुप्ता के स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता, गाडी का नम्बर-एम.पी.-२०-ए-८४४६ से बदलकर सी.पी.ए.-३६५७ कर दिया. दिनांक-२७.१२.९९ को पाँचवा इन्डोसमेंट पास किया गया और उक्त पॉलिसी को केन्सर कर दिया गया तथा बीमाधारक अशोक कुमार गुप्ता को प्रिमियम की धनराशी को वापस कर दिया.

तीसरे इंन्डोसमेंट के आधार पर माननीय न्यायालय ने रूपये-४,४१,५०० /- का अवार्ड पारित कर दिया तथा दिनांक-३०.०६.१९९९ से ६% प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान इस प्रकार कुल रूपये-५,७५,३३५/- की धनराशी को न्यायालय में जमा करवा दिया गया.

इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक आर.केजर के द्वारा अपने वैधानिक दायित्व का पालन न कर तथा इस प्रायोजित आर्थिक घोटाले में लिप्त अधिकारीयों से संगन्नमत होकर व निजि लाभ प्राप्त कर इस मामले की पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज न कर आर्थिक घोटाले में लिप्त अधिकारीयों को बचाने की नियत सें कंपनी के एक पेनल अधिवक्ता का ओपीनियन लेकर मामले का भुगतान कर दिया तथा इस मामले में अपील नहीं की.

आवेदक के द्वारा इस मामले की जाँच अपने स्तर पर की गई तथा तथा इसे समाचार पत्र सेन्सर टाइम्स में प्रकाशित कर पर्दाफाश किया गया. इस समाचार के आधार पर भारत के केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा संज्ञान लेकर इस मामले को उनके यहाँ रजीस्टर्ड किया गया और इसकी जाँच के आदेश व उसकी रिपोर्ट को प्रेषित करने का कहाँ व इस मामले में सभी पर विभागीय जाँच का निर्देश दिया.

विभागीय जाँच में कंपनी के जाँच अधिकारी के द्वारा शाखा प्रबन्धक प्रमोद भटनागर व अन्य कर्मचारी पर सभी आरोपी सिद्व किये गये लेकिन कंपनी के तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक डॉ. आर.के. पुरी के द्वारा प्रबन्धक व्ही.के. शर्मा के साथ संगन्नमत होकर अपने निजि स्वार्थ की पूर्ति कर तथा कंपनी के जनरल मेनेजर मार्केटींग श्री सक्सेना के निर्देश पर एक नोटशीट तैयार कर इन आर्थिक घोटाले में लिप्त अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों को माईनर पेनल्टी अर्थात दोनों आरोपीयों को केवल एक इन्क्रीमेंट देने की रीकमंड की गई. इस बात की जानकारी आरोपी अधिकारी प्रमोद भटनागर द्वारा आवेदक को दी गई और कहाँ कि कंपनी के सारे अधिकारी बेईमान है मेरे द्वारा उन्हें पैसा देकर खरीदा गया है.

आवेदक लार्ज पब्लिक इन्टरेस्ट में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि/जानकारी चाहता है-

०१. इस एम.ए.सी.टी. प्रकरण की फाईल के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि. इस प्रकरण में कितने इन्वेस्टीगेटरों द्वारा इस प्रकरण का इन्वेस्टीगेशन किया गया तथा उन्हें कितनी धनराशी का भुगतान किया गया की जानकारी तथा इन्वेस्टीगेटरों की इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि.

०२. भारत के केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आवेदक के द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान में लेने के पश्चात उनके द्वारा कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजे गये पत्र व उसके साथ संलग्न एनेक्चरों की प्रमाणित प्रतिलिपि

०३. कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के द्वारा इस संबंध में विजीलेंस प्रकरण दर्ज कर उसकी जाँच कौन से विजिलेंस अधिकारी से करवाई जाने के संबंध में बनाई गई नोटशीट की प्रमाणित प्रलिलिप.

०४. विजिलेंस अधिकारी श्री एन.एन. भट्ट , क्षेत्रीय कार्यालय-लखनउ व श्री ए.आर. पोटे क्षेत्रीय कार्यालय-मुम्बई की जाँच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि मय संपूर्ण एनेक्चर के.

०५. कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के द्वारा शाखा प्रबन्धक प्रमोद भटनागर व अन्य कर्मचारी को चार्जशीट देने संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

०६. शाखा प्रबन्धक प्रमोद भटनागर व अन्य कर्मचारी को दी गई चार्जशीट व उसके साथ संलग्न एनेक्चर-लिस्ट ऑफ डाक्यूमेंटस के बिन्दु क्रमांक-१ लगायत १७ तक के दस्तावेजों व उसके साथ संलग्न समस्त एनेक्चरों की प्रमाणित प्रलिलिपि.

०७. अनुशासनिक प्राधिकारी डॉ. आर.के. पुरी द्वारा जाँच अधिकारी व प्रेजेन्टीग अधिकारी नियुक्ति करने संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि.

०८. विभागीय जाँच की संपूर्ण प्रोसिडींग व समस्त गवाहों के बयान की प्रमाणित प्रतिलिप.

०९. कंपनी के प्रेजेन्टीग आफिसर की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि.

१०. प्रेजेन्टीग आफिसर की जाँच रिपोर्ट के प्रतिउत्तर में आरोपी अधिकारी एवं कर्मचारी का जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपि.

११. इनक्वायरी आफिसर की जाँच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि.

१२. जाँच रिपोर्ट के संबंध में आरोपी अधिकारी एवं कर्मचारी का जवाब की प्रमाणित प्रतिलिप मय एनेकचरों के.

१३. आरोपी अधिकारी व कर्मचारी को कंपनी के द्वारा विभागीय जाँच के संबंध में किये गये संपूर्ण पत्र व्यवहार एवं उन्हें दिया गया शो-काज नोटीस की प्रमाणित प्रतिलिपि.

१४. इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबन्धक व्ही.के.शर्मा व मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक व अनुशासनिक प्राधिकारी डॉ. आर.के. पुरी के द्वारा इस विभागीय जाँच के पश्चात उन्हें माईनर पेनल्टी (केवल एक इन्क्रीमेंट डाउन करने संबंधी) बनाई गई नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिप

१५. कंपनी के प्रधान कार्यालय-नई-दिल्ली के विजिलेंस विभाग के द्वारा इस विभागीय जाँच के संबंध में बनाई गई नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि.

१६. कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के द्वारा विभागीय जाँच पूर्ण होने के पश्चात भारत के केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस संबंध में लिखे गये पत्र की प्रमाणित प्रतिलिप.

अत: चाहे गये उपरोक्त सभी दस्तावेज लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है क्योंकि इसमें कंपनी के कई अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों, पेनल अधिवक्ता एवं बीमाधारक के द्वारा अपने निजि स्वार्थ के लिये कंपनी के साथ बेईमानी, कपट, घोखाधड़ी और अपराधिक षड़यत्र किया गया है तथा माननीय न्यायालय में कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर न्यायालय के साथ भी घोखाधड़ी की गई. कंपनी के उच्चाधिकारीयों द्वारा कंपनी में हुए इस अपराध की सूचना पुलिस में नहीं देकर केवल विभागीय जाँच का नाटक किया गया और आरोपीयों को निजि स्वार्थ की पूर्ति कर उन्हें माइनर पेनल्टी (केवल एक इनक्रीमेंट)की पेनल्टी देकर उन्हें बचाया गया है.

कंपनी के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पी. के. झा ने आवेदन का निराकरण नहीं किया

कंपनी के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी श्रीमान पी. के. झा जो हमेशा नशे में (पद के) रहते है ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये बगैर उक्त निर्णय लिया-

कृपया आपने पत्र संख्या सूकाअ/सेटा/२००८/६० दिनांक १२.०८.२००८ का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत आपने शा.प्र. श्री प्रमोद भटनागर एवं अन्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही से संबंधीत १६ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है.

कृपया नोट करें कि हमने इस विषयों पर संबंधित कार्यालय/विभाग से संपर्क स्थापित किया. क्योंकि विभागीय जाँच की कार्यवाही की प्रक्रिया अभी तक जारी है, इसलिये आपको उक्त सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-८(९) के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है.

आवेदक ने कंपनी के अपीलय अधिकारी ने प्रथम अपील पर निम्न निर्णय पारित किया

कंपनी के अपीलीय अधिकारी श्री एस.के. चानना ने भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये बगैर उक्त निर्णय लिया-

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि आरटीआई एक्ट की धारा (८)(१) (एच) के अंतर्गत सूचना प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि विभागीय जाँच अभी जारी है अत: हम सीपीआईओ के निर्णय से सहमत है. सीपीआईओ द्वारा भेजा गया दिनांक-०१.१०.२००८ के पत्र में धारा-८(९) का लिखा जाना एक टाइपिंग गलती थी एवं उसे धारा (८)(१) (एच) माना जाए.

केन्द्रीय सूचना आयुक्त का विवादित निर्णय

CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Room No.296, II Floor, B Wing, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Telefax:011-26180532 & 011-26107254 website:cic.gov.in

Appeal No. CIC/AT/A/2009/000203-DS
Appeal No. CIC/AT/A/2009/000204-DS
Appeal No. CIC/AT/A/2009/000205-DS
Appeal No. CIC/AT/A/2009/000206-DS
Appeal No. CIC/AT/A/2009/000207-DS
Appeal No. CIC/AT/A/2009/000208-DS
Complaint No. CIC/AT/C/2009/000215-DS

Appellant : Shri Ravi Kumar Potdar, **Indore**
(**through video conferencing at NIC, Indore**)

Public Authority : The Oriental Insurance Co. Ltd., New Delhi(through Shri P.K. Jha, DGM, **H.O./CPIO**, Shri V.V. Mohlla, Manager, **H.O.**; Shri A. Das,Chief Manager/**AA**; & Shri V.K. Sharma, Manager, **R.O., Indore**)

Date of Hearing : 26/02/2010
Date of Decision : 26/02/2010

Appeal No. CIC/AT/A/2009/000206-DS
&
(Complaint No. CIC/AT/C/2009/000215-DS

25. The appellant Shri Ravi Kumar Potdar, vide his RTI application of **12/08/2008**, has sought information from the CPIO of Oriental Insurance Co. Ltd., in respect of vigilance cases in which only minor penalties were imposed on Branch Manager, Rewa, in the year 1999, in which major penalty was recommended.

26. The appellant has sought copies of all letters, charge-sheets, investigation reports, notings of Vigilance Departments etc. pertaining to this case.

27. The CPIO, vide his order of **06/10/2008**, have denied information under sub section 9 of section 8, stating that the investigation was still in progress.

28. The appellant went in first appeal on **18/10/2008**, seeking anew this information since the investigation in the case have been completed.

29. He also complained that the CPIO's order had not been signed by the CPIO which was in contravention of the provisions of the RTI Act.

30. The first appellate authority, vide order of **10/11/2008**, denied disclosure under sub section (h) of section 8(1) of the Act and also clarified that the CPIO had wrongly typed section 8(9) of the Act in his order.

31. The appellant has come before this Commission in second appeal.

32. The matter was heard today. The appellant was present **through video conferencing at NIC, Indore.** The respondents were present as above. Both sides made their submissions before the Commission. The appellant stated that the inquiry was over and the information sought could now be provided.

DECISION

33. The respondents informed that the inquiry had led to recommending of major penalty to the official which had been imposed in March, 2009.

DECISION
Authenticated true copy:
(Tarun Kumar)
Joint Secretary & Addl. Registrar

ADDENDUM

Reference CIC order on Appeal NO.CIC/AT/A/2009/000206-DS & Complaint No.CIC/AT/A/C/2009/000215-DS hearing for which held on 26.02.2010 (Also date of decision). The Complete order is follows:

34. This commission's decision in respect of information sought which is enclosed herewith as Annexure-I is as follows.

Point No.1. Information sought pertains to MACT. Appellant may make an application to the concserned authority and seek information.

Point No.2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 & 16: Being third party information the same is denied under Section 8 (1) (j) with the direction that CPIO may take action u/s 11 to finally ssettle the matter regarding release of this information to the appelant.

Point No.7 This information can be provided to the appellant.

(Smt. Deepak Sandhu)
Information Commission (DS)

केन्द्रीय सूचना आयुक्त के द्वारा पारित निर्णय क्रिटिकल एनालिसिस

बीमा कंपनी के एक अधिकारी ने एक बीमाधारक को आर्थिक लाभ पहुँ चाने के लिये बीमा पॉलिसी में कपटपूर्वक हेराफेरी की और फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया. फर्जी दस्तावेजों को बीमाधारक ने न्यायालय में असली दस्तावेज के रुप में प्रस्तुत किया और अपने पक्ष में आदेश करवाया. इस आर्थिक घोटाले का पर्दाफाश होने के पश्चात दोषी अधिकारी पर विजिलेंस विभाग ने प्रकरण दर्ज कर जाँच की और दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँ च की गई इससे संबंधीत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि को सूचना के अधिकार के बीमा कंपनी के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से इसलिये मांगा गया था कि उच्चाधिकारीयों ने इस अधिकारी को कंपनी से बर्खास्त नहीं कर उसकी केवल एक वेतनवृद्वि को रोकने की पेनल्टी दी. आवेदक के द्वारा ही इस आर्थिक घोटाले की शिकायत नई- दिल्ली स्थित केन्द्रीय सतर्कता आयोग को करने पर उनके खिलाफ जाँ च की गई और उन्हें दोषी माना. कंपनी के सीपीआईओ इस अपराध में उच्चाधिकारीयों के लिप्त होने व दोषी अधिकारी को बचाने वाले अधिकारीयों का पर्दाफाश न हो इस कारण उन्होंने ने इन दस्तावेजों को आरटीआई एक्ट की ८ (१)(एच) अर्थात सूचना, जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अडचन पडेगी का हवाला देकर आवेदन पत्र का निराकरण किया.

सीपीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील अपीलय अधिकारी को कर यह उल्लेख किया था कि-

(ए) विभागीय जाँच पूर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान में न इस मामले में न तो इनवेस्टीगेशन हो रहा है और न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभियोजन किया जा रहा है.

(बी) इस संबधं में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय एवं सीआईसी के निर्णय के पैरा-१३ में सिद्वान्त प्रतिपादित किया कि-" Under Section 8, exemption from releasing information is granted if it would impede the process of investigation process cannot be a ground for refusal of the information, the authority withholding information must show satisfactory reasons as to why the release of such information would hamper the investigation process. Such reasons should be germane, and the opinion of the process being hampered should be reasonable and based on some material, sans this consideration, Section 8(1)(h) and other such provisions would become the haven for dodging demands for information." किसी भी सूचना के अधिकार के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार की धारा-८ (१) एच के तहत देने से इंकार करने का युक्तियुक्त कारण देना आवश्यक है कि कैसे इनवेस्टीगेशन की प्रक्रिया या अभियोजन की प्रक्रिया में कैसे अड़चन आएगी.

(सी) चाही गई जानकारी भ्रष्टाचार से संबंधीत है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ८ (२) जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि- Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests. अर्थात यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित, संरक्षित लोक हितों के नुकसान से अधिक इस कारण इसे प्रदान करने से इंकार नहीं किया जा सकता.

अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील का निराकरण युक्तियुक्त तरीके से अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर नहीं करते हुए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया और अपील का निराकरण कर लिखा कि हम सीपीआईओ के निर्णय से सहमत है.

प्रथम अपील का युक्तियुक्त तरीके से निराकण नहीं करके के कारण द्वितिय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग-नई-दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर प्रथम अपील में उठाये गये बिन्दुओं का हवाला देकर चाहे गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदान करने, सीपीआईओ व अपीलीय अधिकारीयों को आरटीआई एक्ट की धारा-२० के तहत दण्डित किये जाने व अपीलार्थी को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की.

केन्द्रीय सूचना आयुक्त दीपक संधू ने इस प्रकरण की सुनवाई विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की तथा सुनवाई के दौरान उन्होंने द्वितिय अपील में अपील में उठाये गये कानूनी बिन्दु पर निर्णय पारित नहीं किया और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अन्य बिन्दु पर यह निर्णय पारित किया कि -Being third party information the same is denied under Section 8 (1) (j) with the direction that CPIO may take action u/s 11 to finally settle the matter regarding release of this information to the appellant.जबकी चाही गई जानकारी इस धारा के तहत नहीं आती है क्योंकि उक्त जानकारी न तो व्यक्तिगत है और न ही थर्ड पार्टी से संबंधीत है. चाहे गये समस्त दस्तावेज क्योंकि किसी भी पब्लिक अर्थोरिटी द्वारा की गई जाँ च से संबंधित दस्तावेज पब्लिक डाक्यूमेंट की श्रेणी में आती है.उक्त विभागीय जाँच से संबंधीत दस्तावेज विभाग के दस्तावेज है.

केन्द्रीय सूचना आयुक्त दीपक संधू ने ही एक अन्य प्रकरण क्रमांक-सीआईसी/एटी/ए/२००९/ ०००५२८ में विभागीय जाँ च से संबंधीत दस्तावेजों जिसमें भी फर्जी दस्तावेजों को बनाकर ४,४१,२७५/ - रुपयों का गबन होने पर दोषी लोकसेवकों के विरुद्व की गई विभागीय जाँ च के दस्तावेजों को पब्लिक डाक्यूमेंट बताया है उन्होंने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि- Respondent are directed to provide a copy of the documents pertaining to the investigation, department inquiry and final conclusion and order of the inquiry officer, to the appellant, since the inquiry is over and complete और इन दस्तावेजों को ४ सप्ताह में देने का निर्देश दिया.

सूचना आयुक्त का एक ही प्रकार के प्रकरण में दो अलग-अलग निर्णय करना उनकी विश्वस्नीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और यह दर्शाता है कि वे सूचना के अधिकार के प्रावधनों व बनाये गये नियमों के तहत कार्य नहीं कर अपने पद का दुरुपयोग कर केवल सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारी को नहीं वरन लोकधन को हडपने वाले उस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है. सूचना के अधिकार में उक्त दस्तावेज मांगे जाने का कारण यह था कि इस अधिकारी जिसने फर्जी दस्तावेजों को बनाया उसे कंपनी से बर्खास्त न कर उसे केवल एक इन्क्रीमेंट की पेनल्टी देकर छोड़ दिया द्वितिय अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने इसी बात पर अपना पक्ष रखा था. केन्द्रीय सूचना आयुक्त दीपक संधू सुनवाई के दौरान यह कहती है कि आप उच्च न्यायालय जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है.

विधि का सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश के विरुद्व जिन आधारों पर अपील की गई है उन्ही बिन्दुओं का निराकरण किया जावेगा. सूचना आयुक्त को विधि के सिद्वान्तों के अनुसार द्वितिय अपील में केवल इतना ही डिसाईड करना था कि चाहे गये दस्तावेज जिन्हें सीपीआईओ व अपीलीय अधिकारी ने ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-८ (१)(एच) के तहत देने से इंकार किया वह सही है अथवा गलत. सूचना आयुक्त को अपील में अन्य किसी बिन्दु को डिसाईड करने का कोई अधिकार नहीं था.

सूचना आयुक्त ने सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारी को बचाने की नियत अपने निर्णय में इस बिन्दु के बारे में किसी निर्णय नहीं लिया और आदेश में आरटीआई की धारा-८ (१)(जे) एवं थर्ड पार्टी से संबंधीत दस्तावेज बताये. उक्त चाहे गये दस्तावेज थर्ड पार्टी के व्यक्गित दस्तावेज नहीं है वह एक पब्लिक अर्थोरिटी के द्वारा की गई जाँ च से संबंधीत दस्तावेज है जो एक कार्यालीन दस्तावेज है. इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के कई सूचना आयुक्त ने इस प्रकार के निर्णय पारित किये जा चुके है.

केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में कंपनी की एक एम. ए.सी.टी की क्लेम फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसे आवेदक/अपीलाथी ने लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में मांगा था के संबंध में उनके द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये बगैर यह लिखा कि-Information sought pertains to MACT. Appellant may make an application to the concserned authority and seek information. यह एमएसीटी क्लेम की फाईल के लिये कनर्सन अर्थोरिटी कंपनी का सीपीआईओ ही है फिर उसे पुन: अलग मांगे जाने के लिये आदेश पारित क्यों किया इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है.

कृष्णास्वामी विरुद्व यूनियन ऑफ इंडिया १९९२ एस. सी.सी. ६०५ में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कानूनी/लोक प्राधिकारी/ अभिकरण द्वारा कारण का उल्लेख नहीं किया जाना, उनके द्वारा किये गये निर्णय को मनमाना, अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं अनुच्छेद १४ व २१ का अतिक्रमणि करने वाला है। केन्द्रीय सूचना आयुक्त परित आदेश पूर्णत: मनमाना, अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं अनुच्छेद १४ व २१ का अतिक्रमणि करने वाला है। केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने कंपनी के सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारी को बचाने के लिये इस प्रकार का गलत निर्णय लिया. अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के निर्णय के बाद केन्द्रीय सूचना आयुक्त को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है ?

केन्द्रीय सूचना आयुक्त कृपया इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास है-

१. कंपनी के सीपीआईओ आरटीआई के आवेदन पत्र का निराकरण नहीं करते हुए उसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-८ (१)(एच) के तहत देने से इंकार किया तथा अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील में युक्तियक्त आधार दिये जाने के बाद भी अपीलीय अधिकारी ने उन बिन्दुओं की अनदेखी की. आपने अपने निर्णय में सीपीआईओ एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय उचित थे या अनुचित इस बारे में आपने अपने निर्णय में द्वितिय अपील में अपील के कानूनी बिन्दु को निराकृत न कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अन्य आधार पर द्वितिय अपील का निराकरण क्यों किया?

०२. आपने इस प्रकरण में विभागीय जाँ च से संबधित दस्तावेज के संबंध में यह निर्णय लिया- Being third party information the same is denied under Section 8 (1) (j) with the direction that CPIO may take action u/s 11 to finally settle the matter regarding release of this information to the appelant. इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक-सीआईसी/एटी/ए/२००९/०००५२८ में विभागीय जाँ च से संबंधीत दस्तावेजों के बारे में यह निर्णय लिया-Respondent are directed to provide a copy of the documents pertaining to the investigation, department inquiry and final conclusion and order of the inquiry officer, to the appellant, since the inquiry is over and complete उक्त दोनों प्रकरण में लोकसेवकों द्वारा आर्थिक घोटाले प्रायोजित किया जिनका पर्दाफाश होने के बाद विभागीय जाँ च की गई थी जो पूर्ण हो चुकी थी. आपने एक ही प्रकार के दो प्रकरणों में अलग-अलग निर्णय क्यों लिये ?

०३. आपने अपने निर्णय में अपीलार्थी द्वारा चाही गई एमएसीटी की क्लेम फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्राप्त करने के लिये पुन: पृथक से आवेदन देने हेतु क्यों कहाँ जबकी यह फाईल कंपनी के सीपीआईओ के क्षेत्राधिकार में ही आती है तथा सूचना के अधिकार के तहत उन्हीं के द्वारा दी जानी है?

०४. आपने यह जानते हुए भी कि चाही गई जानकारी कंपनी के एक अधिकारी प्रमोद भटनागर जिन्होंने अपनी हीं कंपनी के साथ धोखाधडी की और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति कर एक बीमाधारक को बचाने के कंपनी के साथ एक आपराधिक षड़यत्र की रचना कर बेईमानीपूर्वक छल किया और फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया. इतने गंभीर भ्रष्टाचार से संबंधीत मुद्दे से संबंधीत दस्तावेजी साक्ष्य प्रकरण के रिकार्ड पर होने के बाद भी अपील के इस मुख्य आधार कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ८ (२) जिसके अनुसार दस्तावेजों के प्रकटन में लोकहित, संरक्षित लोक हितों के नुकसान से अधिक है तो उसे धारा-८ (१) में उल्लेखित अपवाद होने पर भी उसे देने से इंकार नही किया जावेगा इस बिन्दु पर किसी प्रकार का निर्णय क्यों नहीं लिया ?

०५. आपने अपने निर्णय में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सहायता में सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार की धारा-२० के तहत दण्डित किये जाने का निवेदन किया आपने अपने निर्णय में इस बिन्दु पर कोई स्पीकींग आदेश क्यों नहीं पारित किया?

०६. आपने अपने निर्णय में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सहायता में अपीलार्थी को मुआवजा पाने का अधिकार नहीं है इस संबंध में कोई आदेश क्यों नहीं किया ?

०८. सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा-१(९) अनुसार आपने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया कि उनके निर्णय के बाद किसे अपील की जावेगी ?

कंपनी के सीपीआईओ पी. के. झा सिर्फ भ्रष्टाचारीयों को बचाने का वेतन पाते है

ये बेर्शमी कब तक ?

कंपनी के सीपीआईओ व सहा महाप्रबन्धक पी. के. झा केन्द्रीय सूचना आयुक्त का उपरोक्त विवादित निर्णय मिलने के बाद आर्थिक घोटाला प्रायोजित करने वाले भ्रष्ट अधिकारी प्रमोद भटनागर से एक पत्र लिखकर यह पूछा कि आपकी विभागीय जाँ च से संबंधित दस्तावेजों को आरटीआई एक्ट के तहत दिया जावे अथवा नहीं. भ्रष्ट अधिकारी प्रमोद भटनागर ने इन दस्तावेजों को देने से इंकार कर दिया. पी.के. झा ने आवेदक को एक पत्र लिखकर बता दिया कि आपने जो जानकारी चाही थी उसे थर्ड पार्टी ने देने से इंकार कर दिया है. पी.के. झा एक कंपनी में जिम्मेदार लोकसेवक है तथा लोकधन से वेतन पाते है उन्होंने नशे में (अपने पद के) इस प्रकार का कार्य करना उनके चरित्र को दर्शाता है. वे आर्थिक घोटालों में लिप्त लोगों को क्यों बचाना चाहते है. ऐसे गैर जिम्मेदार लोकसेवक के कारण ही कंपनी को हर वर्ष करोडो रुपयों की आर्थिक हानि हो रही है. पी.के. झा हम आपको बता दे आरटीआई एक्ट की धारा-११ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि-" Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party. भ्रष्ट अधिकारी प्रमोद भटनागर ने इन दस्तावेजों को देने से इंकार करने पर पी.के. झा अपनी बुद्वि का इस्तेमाल करते और लोकहित को ध्यान में रखते तो इन दस्तावेजों को देने से इंकार नहीं कर सकते थे. यह कंपनी के साथ धोखाधडी और फर्जी दस्तावेजों को बनाने वाले भ्रष्ट अधिकारी प्रमोद भटनागर को बचाने के लिये वे अपने स्तर से कितने गिर चुके है इसका अंदाजा आप लगा सकते है. अब इस प्रकरण में दस्तावेज प्राप्त करने के लिये उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर दस्तावेजों को प्राप्त किया जावेगा पी.के. झा तुम कब तक भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बनोगे।